रोजगार निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
आई. ए. आर. आई. परिसर, पूसा, नई दिल्ली 110 012

तारांकित प्रश्न संख्या :- 28

दिनांक :- 07.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- **श्री आदर्श शास्त्री**

क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
क	क्या योजना विभाग ने दिल्ली राज्ये में बेरोजगार युवकों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित किए है	योजना विभाग से प्राप्त उत्तर सलंग्न है ।
ख	यदि है तो जिलेवार उनका विवरण क्या है व वे कौन से कारक है जो किसी अर्थवयवस्था में रोजगार उपलब्धता को निर्धारित करते है	
ग	राज्य में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओ का विवरण दें;	रोजगार निदेशालय दिल्ली सरकार, अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 से समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहा है। इनमे निजी नियोक्ताओं ने कुल 78001 अभ्यर्थिओं का साक्षात्कार लिया तथा 30380 अभ्यर्थिओं को शॉर्टलिस्ट किया है। रोजगार मेले आयोजित करके, रोजगार निदेशालय एक स्थान पर नियोक्ताओं/ संगठनों और अभ्यर्थियों के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि वे दोनों उपयुक्त मिलान पा सकें तथा अभ्यर्थी आवश्यक एक्सपोज़र पा सके। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं दोनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, रिक्तियों के ऑनलाइन प्रकाशन के लिए और अभ्यर्थियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उद्देश्य से एक समर्पित जॉब फेयर पोर्टल शुरू किया गया है। सभी मेलो का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं	तिथियां	कुल प्रतिभागी अभ्यर्थी	कुल प्रतिभागी शॉर्टलिस्ट किये गये
1.	1 से 8 अगस्त, 2015	5000	2000
2.	**16** नवंबर से **5** दिसंबर, **2015**	25000	12000
3.	17 मार्च से 18 मार्च , 2017	254	112
4.	12 मई, 2017	275	168
5.	11 से 15 जुलाई, 2017	2658	1184
6.	**7** से **8** नवंबर, **2017**	28200	8921
7	**15** से **16** फरवरी, **2018**	16614	5995
कुल		**78001**	**30380**

घ	क्या ये योजनाएं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रही है;	हाँ । आयोजित रोजगार मेले युवाओं को रोजगार दिलाने में सहयोग करने में सफल रहे है ।
ड़	यदि हां, तो उसका संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं;	उपरोक्त 'ग' के अनुसार ।
च	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।
छ	क्या सरकार कोई नई रोजगार योजना बनाने जा रही है; और	इस विभाग में ऐसी कोई नयी योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है।
ज	यदि हां, तो उसका विवरण क्या है व इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए अन्य प्रभावी कदम क्या है	उपरोक्तानुसार लागू नहीं ।

विभागाध्यक्ष/सचिव सह निदेशक (रोजगार)